



This is a digitally signed gazette, to verify click [here](#).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार 9 जुलाई, 2012/18 आषाढ़, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 जुलाई, 2012

संख्या: एफ.एफ.ई.बी-एफ (13)-79/2005.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव केलंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश में वन मंडलाधिकारी कार्यालय के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों तथा श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत; अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देती हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन अधिकारी, लाहौल स्थित केलंग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	मौजा/गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (बीघा में)
लाहौल-स्पिति	लाहौल	केलंग	1353/459	01-09 बीघा किता-1

आदेश द्वारा
प्रधान सचिव (वन)।

In the Court of Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Suman Kumar, aged 32 years s/o Shri Milkhi Ram, r/o Village Keharwin, P.O. Baloh, Tehsil and District Hamirpur (H. P.)
2. Smt. Reena, aged 21 years d/o Shri Rajan, Presently living with Kamaljeet, r/o Village Thankari, P. O. Dugli, Tehsil and District Bilaspur (H. P.) . . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Suman Kumar & Reena have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they have stated that they intend to solemnize marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 8-8-2012. The objection received after 8-8-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-6-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

**In the Court of Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Satish Kumar, aged 28 years s/o Shri Bishamber Dass, r/o Village & P.O. Charot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.)
2. Smt. Pooja Kumari, aged 22 years d/o Late Shri Bansil Lal, r/o Kirpa Gate Ravidass Newsher (PB) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Satish Kumar & Smt. Pooja Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-1-2012 at Anoo, Tehsil & District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 8-8-2012. The objection received after 8-8-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-6-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Sunil Kumar, aged 24 years s/o Shri Amin Chand, r/o Village Samlog, P.O. Dhirwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) c/o Ashwani Kumar s/o Roshan Lal, r/o Ward No. 10, Goura Kalan, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Monika Devi, aged 22 years d/o Shri Kuldeep Singh, r/o Village Bhoti, P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) c/o Ashwani Kumar s/o Roshan Lal, r/o Ward No. 10, Goura Kalan, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Sunil Kumar & Smt. Monika Rani have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-5-2012 at Shiv Mandir Chhoan, Tehsil & District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-8-2012. The objection received after 22-8-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-6-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री सर्वदयाल, गांव मनवीं, डा0 लग मनवीं, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 7960, दिनांक 18-6-2012 अनुसार जगदीश चन्द पुत्र श्री सर्वदयाल, गांव मनवीं, डा0 लग मनवीं, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि निकिता कालिया सुपुत्री श्री जगदीश चन्द का जन्म दिनांक 8-11-2007 को हुआ है परन्तु वह उक्त जन्म तिथि 8-11-2007 को ग्राम पंचायत मनवीं, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सके हैं तथा अब उक्त जन्म तिथि 8-11-2007 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि निकिता कालिया पुत्री श्री जगदीश चन्द की जन्म तिथि 8-11-2007 को ग्राम पंचायत मनवीं, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 26-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री मंगत राम पुत्र श्री भगत राम, गांव टिक्कर खातरियां, डा0 टिक्कर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 7864, दिनांक 16-6-2012 अनुसार मंगत राम पुत्र श्री भगत राम, गांव टिक्कर खातरियां, डा0 टिक्कर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि संतोष कुमार सुपुत्र श्री मंगत राम का जन्म दिनांक 10-10-1971 को हुआ है परन्तु वह उक्त जन्म तिथि 10-10-1971 को ग्राम पंचायत टिक्कर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सके हैं तथा अब उक्त जन्म तिथि 10-10-1971 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस राजपत्र इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि संतोष कुमार पुत्र श्री मंगत राम की जन्म तिथि 10-10-1971 को ग्राम पंचायत मनवीं, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 26-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री दुर्गा दास, गांव टिहरा, डा0 लदरौर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 8195, दिनांक 22-6-2012 अनुसार प्रेम चन्द पुत्र श्री दुर्गा दास, गांव टिहरा, डा0 लदरौर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसकी दादी श्रीमती प्रसिनो बेवा श्री खड़कू की मृत्यु दिनांक 6-1-1980 को हुई है परन्तु वह उक्त मृत्यु तिथि 6-1-1980 को ग्राम पंचायत भौंखर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सके हैं तथा अब उक्त मृत्यु तिथि 6-1-1980 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती प्रसिनो बेवा श्री खड़कू की मृत्यु तिथि 6-1-1980 को ग्राम पंचायत भौंखर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 27-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री लहरिया राम, गांव डबरेड़ा, डा0 डुगली, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 8449, दिनांक 28-6-2012 अनुसार रमेश चन्द पुत्र श्री लहरिया राम, गांव डबरेड़ा, डा0 डुगली, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि कुमारी यशू सुपुत्री श्री रमेश चन्द का जन्म दिनांक 3-9-2006 को हुआ है परन्तु वह उक्त जन्म तिथि 3-9-2006 को ग्राम पंचायत लम्बलू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सके हैं तथा अब उक्त जन्म तिथि 3-9-2006 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि निकिता कुमारी यशू पुत्री श्री रमेश चन्द की जन्म तिथि 3-9-2006 को ग्राम पंचायत लम्बलू, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 3-7-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी श्री बख्शी राम, गांव दशमल, डा0 भोरंज, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 7865, दिनांक 16-6-2012 अनुसार श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी श्री बख्शी राम, गांव दशमल, डा0 दिम्मी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि निशा कुमारी सुपुत्री श्री बख्शी राम का जन्म दिनांक 14-3-1974 को हुआ है परन्तु वह जन्म दिनांक 14-3-1974 को ग्राम पंचायत दिम्मी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सके हैं तथा अब उक्त जन्म तिथि 14-3-1974 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस राजपत्र इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि निशा कुमारी पुत्री श्री बख्शी राम की जन्म तिथि 14-3-1974 को ग्राम पंचायत दिम्मी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समाप्त न होगा।

आज दिनांक 26-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Shri Ram Singh, Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Jawalamukhi,
District Kangra, Himachal Pradesh**

1. Shri Sandeep Kondal s/o Shri Kamal Dev, r/o Village Khola, Tehsil, Jawalamukhi.
2. Smt. Poonam Kondal d/o Shri Dina Nath, r/o Salah, Jandrah, Teh. Baroh . . Applicants.

Versus

1. General Public, 2. The Registrar of Marriages, Bhati Bohan.

Subject.—Registration of Marriage under Section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

PUBLIC NOTICE :

Whereas the above named applicant has made an application under Section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 along with an affidavit stating there in that they have solemnized their marriage on (date) 16-2-2009 at (Place) Khola but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, Bhati Bohan;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on (date) 23-7-2012 at (Place) Tehsil Office, Jawalamukhi at (time) 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 23rd day of June, 2012.

Seal.

RAM SINGH,
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Jawalamukhi, District Kangra, Himachal Pradesh.

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं० : 09/2012

तारीख पेशी : 3-08-2012

शीर्षक :

श्री जोवन राम पुत्र स्व० श्री चुहडू राम, निवासी महाल गगल, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

श्री जोवन राम पुत्र स्व० श्री चुहडू राम, निवासी महाल गगल, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसका असली नाम जोवन राम पुत्र श्री चुहडू राम है। जबकि राजस्व रिकार्ड के महाल गगल, मौजा गगल में जीवन लाल पुत्र श्री चुहडू राम दर्शाया गया है अतः इसे दुरुस्त किया जाये।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 3-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में जोवन राम पुत्र श्री चुहडू राम के बजाए जीवन लाल उपनाम जोवन राम पुत्र श्री चुहडू राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं० : 04/2012

तारीख दायरा : 27-6-2012

तारीख पेशी : 3-08-2012

शीर्षक :

श्री रमन सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव मलेहड़, मौजा मरुंह, उप-तहसील धीरा, जिला
कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

प्रधान ग्राम पंचायत डैई, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . . प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म गांव मलेहड़, मौजा मरुंह, उप-तहसील धीरा में दिनांक 8-10-1987 को हुआ है। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत मरुंह के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 3-8-2012 को प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन अपना उजर/एतराज अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा तथा रमन सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह की जन्म तिथि दिनांक 8-10-1987 के पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत मरुंह को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 12/NT/2012/ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

वरफीन कुमार

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री वरफीन कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी जंदरागल, मौजा जंदरागल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पत्नी मोनिका देवी की मृत्यु तिथि 1-9-2009 है परन्तु ग्राम पंचायत जंदरागल में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया

जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-7-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 55/NT/2012/ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

वन्शी लाल

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री वन्शी लाल पुत्र श्री दुलो राम, निवासी मसरेहड़, मौजा मंदल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री आकांक्षा चौधरी की जन्म तिथि 10-3-2001 है। परन्तु ग्राम पंचायत ढंगवार में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 8-8-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 54/NT/2012/ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

वन्शी लाल

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री वन्शी लाल पुत्र श्री दुलो राम, निवासी मसरेहड़, मौजा मंदल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र सूरज प्रकाश की जन्म तिथि

1-1-2003 है। परन्तु ग्राम पंचायत ढंगवार में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 8-8-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 52/NT/2012/ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

सुभद्रा देवी

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती सुभद्रा देवी पत्नी श्री धर्म चन्द, निवासी सकोह, मौजा सकोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र मुनीष कुमार की मृत्यु तिथि 31-10-2010 है। परन्तु ग्राम पंचायत सकोह में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-7-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नरेश कुमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० : 53/NT/2012/ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

Tsering Chodon

बनाम

आम जनता व अन्य

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tsering Chodon d/o Shri Sonam Tsering at presently wife of Shri Tenzin Thuwang c/o Tsesum Lhamo TSJCCTA Gangchen Kyishong Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी/उसके पुत्री/पुत्र Tenzin Jamphel की जन्म दिनांक 16-3-1994 है। परन्तु एम0सी0 धर्मशाला में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 31-7-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

नरेश कुमार,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 31-7-2012

श्रीमती प्यारी देवी पत्नी श्री पूर्ण चन्द, निवासी जांगल, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्रीमती प्यारी देवी पत्नी श्री पूर्ण चन्द, निवासी जांगल, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा नाम प्यारी देवी है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम गलती से राम प्यारी लिखा गया है, जोकि गलत है। अतः राम प्यारी के स्थान पर मेरा नाम प्यारी देवी दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-7-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्यारी देवी पत्नी श्री पूर्ण चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।

नरेश कुमार,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

नाम परिवर्तन

मैं, करनैल सिंह पुत्र श्री चनण सिंह, निवासी भलाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि विकुल कुमार सिंह मेरा व मेरी पत्नी सरला देवी का दत्तक पुत्र है। उसके दसवीं कक्षा के दाखिला फार्म में गलती से उसके पिता का नाम कुलवन्त सिंह व माता का नाम कृष्णा देवी दर्ज है। उसके पिता का सही नाम करनैल सिंह व माता का सही नाम सरला देवी है। सभी सम्बन्धित नोट करें।

करनैल सिंह,
पुत्र श्री चनण सिंह,
गांव भलाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 31-7-2012

श्रीमती प्यारी देवी पत्नी श्री पूर्ण चन्द, निवासी जांगल, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम
आम जनता

श्रीमती प्यारी देवी पत्नी श्री पूर्ण चन्द, निवासी जांगल, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा नाम प्यारी देवी है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम गलती से राम प्यारी लिखा गया है, जोकि गलत है। अतः राम प्यारी के स्थान पर मेरा नाम प्यारी देवी दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-7-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्यारी देवी पत्नी श्री पूर्ण चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।

नरेश कुमार,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

CHANGE OF NAME

I, Mohinder Singh Rana aged 54 years s/o Shri Udham Singh, r/o Ward No. 3, Subhash Chowk, Palampur, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) affirm that the name of my son spelling has wrongly been entered in the 10th Class Certificate issued by CBSE having Roll No. 2222442, Registration No. C/11/04314/71162 (Session 2009-11) passed from DAV Public School, Palampur, H.P. as RISBH RANA but actual name spelling is RISHAB RANA.

Mohinder Singh Rana
s/o Shri Udham Singh,
Ward No. 3, Subhash Chowk, Palampur,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती देववन्ती पुत्री श्री अमर सिंह पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी गांव 16 मील, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त बराए दरुस्ती इन्द्राज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती देववन्ती पुत्री श्री अमर सिंह पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी गांव 16 मील, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र दिया है कि उसके पिता का नाम कागजात माल में छेरिंग फुचोग उर्फ अमर सिंह दर्ज है। जिसकी वह दरुस्ती करवा कर अमर सिंह करवाना चाहती है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अमर सिंह पुत्र श्री ठाकुर दास का नाम कागजात माल में दरुस्त किए जाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 1—8—2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2—7—2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री शिव दयाल पुत्र श्री परमा नन्द, निवासी गांव चौकी, डाकघर खून्न, उप—तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।

विषय.—जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शिव दयाल पुत्र श्री परमा नन्द, निवासी गांव चौकी, डाकघर खून्न, उप—तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन—पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसकी माता स्व० श्रीमती गणी देवी की मृत्यु दिनांक 12—10—1994 को हो गई है। लेकिन वह भूल के कारण उक्त मृतक की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत खणी में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृतक की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 31—7—2012 को प्रातः 10.00

बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें गैर हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त मृतक की मृत्यु तिथि 12-10-1994 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री डोले राम पुत्र स्व० श्री केवल राम, निवासी गांव छकलैड़, डाकघर कमान्द, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।

विषय.—जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री डोले राम पुत्र स्व० श्री केवल राम, निवासी गांव छकलैड़, डाकघर कमान्द, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसकी माता स्व० श्रीमती कागदू देवी की मृत्यु दिनांक 15-1-2010 को हो गई है। लेकिन वह भूल के कारण उक्त मृतक की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कोहिला में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृतक की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 31-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें गैर हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त मृतक की मृत्यु तिथि 15-1-2010 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री डोले राम पुत्र स्व० श्री केवल राम, निवासी गांव छकलैड़, डाकघर कमान्द, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।

विषय.—जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री डोले राम पुत्र स्व० श्री केवल राम, निवासी गांव छकलैड़, डाकघर कमान्द, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसके चाचा स्व० श्री सुख

दास की मृत्यु दिनांक 10-8-2010 को हो गई है। लेकिन वह भूल के कारण उक्त मृतक की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कोहिला में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृतक की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 31-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें गैर हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त मृतक की मृत्यु तिथि 10-8-2010 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री राम स्वरूप पुत्र श्री सालिग राम, निवासी गांव टिपल, डाकघर कण्ठागई, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।

विषय.—जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम स्वरूप पुत्र श्री सालिग राम, निवासी गांव टिपल, डाकघर कण्ठागई, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसकी पुत्री स्वाति आनन्द का जन्म दिनांक 9-8-2007 को हुआ है। लेकिन वह भूल के कारण उक्त सन्तान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत जावन में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त सन्तान की जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 31-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें गैर हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त सन्तान की जन्म तिथि 9-8-2007 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री वेली राम पुत्र श्री मंगत राम, निवासी गांव उत्तखनैर, डाकघर डिगेड़, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

श्री वेली राम पुत्र श्री मंगत राम, निवासी गांव उत्तखनैर, डाकघर डिगेड़, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में गलती से बिहारी सिंह लिखा गया है। जबकि दूसरे कागजों में वेली राम पुत्र श्री मंगत राम दर्ज है जो सही व दुरुस्त है। अतः राजस्व अभिलेख मुहान में दुरुस्त दर्ज किया जावे।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिस्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 31-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें गैर हाजिरी की सूरत में राजस्व अभिलेख में को उक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

अज अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : /2012

तारीख मरजुआ : 2-6-2012

तारीख पेशी : 23-7-2012

श्री संसार चन्द पुत्र श्री कन्हैया, निवासी गरौडू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

सर्वश्री/श्रीमती 1. जूध्या देवी विधवा हरभज, 2. रुमा देवी विधवा गोविन्द, 3. निरमाया विधवा पूर्ण चन्द, 4. हंस राज पुत्र माला देवी, निवासीगण जलपेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र भूमि का विभाजन करने बारे।

श्री संसार चन्द पुत्र श्री कन्हैया, निवासी गरौडू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में भूमि खाता नम्बर 79/103-104, खसरा नम्बर 19-21-23-46-48-49-51/1-52-53/1-59-20-24-25/2-44-56-57/1-11-72, कित्ता-18, रकबा तादादी 2-13-8 बीघा स्थित मुहाल जलपेहड़/336, तहसील जोगिन्दरनगर की भूमि का विभाजन करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया है। प्रतिवादी क्रम संख्या 2 व 4 सर्वश्री/श्रीमती रुमा देवी व हंस राज, निवासीगण जलपेहड़ को इस न्यायालय द्वारा उपस्थित होने बारे कई बार समन भेजे गए परन्तु व्यक्तिगत तौर पर तामील नहीं हो रही है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 23-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असागतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर हाजिरी की सूगत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-6-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

अज अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : /2012

तारीख मरजुआ : 2-6-2012

तारीख पेशी : 23-7-2012

श्री संसार चन्द पुत्र श्री कन्हैया, निवासी गरौडू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
. . वादी।

बनाम

सर्वश्री/श्रीमती 1. हंस राज पुत्र माला देवी, 2. निरमाया विधवा पूर्ण चन्द, 3. ब्रह्मी देवी, 4. रूको देवी पुत्रियां व 5. फिथि उर्फ सोमा विधवा मुन्शी, 6. ज्ञान चन्द पुत्र व 7. सत्या पुत्री व 8. प्रकाश चन्द पुत्र गुरमुख, 9. सन्तोष कुमार पुत्र व 10. मंजूबाला पुत्री व 11. पवना देवी विधवा कश्मीर सिंह, 12 अमर सिंह, 13 किशोरी लाल, 14. विनोद कुमार, 15. संजय कुमार पुत्रगण व 16. चंचला देवी पुत्री 17. मूंगा देवी विधवा भ्यांसरू, 18. सुभाष चन्द, 19. देश राज, 20. हंस राज पुत्र व 21. ब्यासा देवी विधवा रभल, 22. जूध्या देवी विधवा हरभज, निवासीगण जलपेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र भूमि का विभाजन करने बारे।

श्री संसार चन्द पुत्र श्री कन्हैया, निवासी गरौडू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में भूमि खाता नम्बर 79/103-104, खसरा नम्बर 19-21-23-46-48-49-51/1-52-53/1-59-20-24-25/2-44-56-57/1-11-72, कित्ता-18, रकबा तादादी 2-13-8 बीघा स्थित मुहाल जलपेहड़/336, तहसील जोगिन्दरनगर की भूमि का विभाजन करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया है। प्रतिवादी क्रम संख्या 1, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 19 व 20 सर्वश्री/श्रीमती हंस राज, ब्रह्मी देवी, रूको देवी व फिथि उर्फ सोमा विधवा मुन्शी, सत्या, मंजूबाला, विनोद कुमार, संजय कुमार, चंचला देवी, देश राज, हंस राज, निवासीगण जलपेहड़ को इस न्यायालय द्वारा उपस्थित होने बारे कई बार समन भेजे गए परन्तु व्यक्तिगत तौर पर तामील नहीं हो रही है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 23-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असागतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर हाजिरी की सूगत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-6-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

अज अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : /2012

तारीख मरजुआ : 2-6-2012

तारीख पेशी : 23-7-2012

श्री संसार चन्द पुत्र श्री कन्हैया, निवासी गरौडू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
... वादी।

बनाम

सर्वश्री/श्रीमती 1. हंस राज पुत्र माला देवी, 2. ब्रह्मी देवी, 3. रूको देवी पुत्रियां व 4. फिथि उर्फ सोमा विधवा मुन्शी, 5. प्रकाश चन्द पुत्र गुरमुख, 6. मंजूबाला पुत्री व 7. पवना देवी विधवा कश्मीर सिंह, 8. सन्तोष कुमार पुत्र व 9. विनोद कुमार, 10. अमर सिंह, 11. किशोरी लाल, 12. संजय कुमार पुत्रगण व 13. चंचला देवी पुत्री व 14. मूंगा देवी विधवा भ्यांसरू, 15. सुभाष चन्द, 16. देश राज, 17. हंस राज पुत्र व 18. ब्यासा देवी विधवा रमल, 19. जूध्या देवी विधवा हरभज, निवासीगण जलपेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
... प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र भूमि का विभाजन करने बारे।

श्री संसार चन्द पुत्र श्री कन्हैया, निवासी गरौडू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में भूमि खाता नम्बर 79/103-104, खसरा नम्बर 19-21-23-46-48-49-51/1-52-53/1-59-20-24-25/2-44-56-57/1-11-72, कित्ता-18, रकबा तादादी 2-13-8 बीघा स्थित मुहाल जलपेहड़/336, तहसील जोगिन्दरनगर की भूमि का विभाजन करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया है। प्रतिवादी क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 16 व 17 सर्वश्री/श्रीमती हंस राज, ब्रह्मी देवी, रूको देवी व फिथि उर्फ सोमा विधवा मुन्शी, मंजूबाला, विनोद कुमार, संजय कुमार, चंचला देवी, देश राज, हंस राज, निवासीगण जलपेहड़ को इस न्यायालय द्वारा उपस्थित होने बारे कई बार समन भेजे गए परन्तु व्यक्तिगत तौर पर तामील नहीं हो रही है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 23-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-6-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सरद सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 24-7-2012

फकीर हुसैन पुत्र नुर हुसैन, निवासी गांव तराणू, डा0 बथेरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

... प्रत्यार्थी।

आवेदन-पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

फकीर हुसैन पुत्र नुर हुसैन, निवासी गांव तराणू, डा0 बथेरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड में व अन्य रिकॉर्ड में फकीर हुसैन दर्ज है जबकि मुहाल तराणू/519 के तमाम राजस्व अभिलेखों में उसका नाम फकर दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम महाल तारणू के तमाम राजस्व अभिलेखों में फकर उर्फ फकीर हुसैन दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 24-7-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 27-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

सरद सिंह ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सरद सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 24-7-2012

श्री गुजर पुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव बडी झरबाड़, डा0 बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

आवेदन-पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

श्री गुजर पुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव बडी झरबाड़, डा0 बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड व बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्रों में गुजर दर्ज है जबकि मुहाल झरबाड़/406 के तमाम राजस्व अभिलेखों में उसका नाम गुलवन्त सिंह दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम महाल झरबाड़ के तमाम राजस्व अभिलेखों में गुलवन्त सिंह उर्फ गुजर दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 24-7-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 27-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

सरद सिंह ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सरद सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 30-6-2012

श्री दयालू पुत्र श्री मंगतू राम, निवासी गांव साहल, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

आवेदन-पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

श्री दयालू पुत्र श्री मंगतू राम, निवासी गांव साहल, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड में दयालू दर्ज है जबकि मुहाल साहल के तमाम राजस्व अभिलेखों में उसका नाम बिलू दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम मुहाल साहल के तमाम राजस्व अभिलेखों में बिलू उर्फ दयालू दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 24-7-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 27-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

सरद सिंह ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मित्र देव, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री दुर्गा दास पुत्र श्री सन्त राम, निवासी गांव व डाकखाना कुम्मी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री दुर्गा दास पुत्र श्री सन्त राम, निवासी कुम्मी, ग्राम पंचायत कुम्मी ने इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनकी बुआ की मृत्यु ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे आवेदन-पत्र दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-7-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज व उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मोहर।

मित्र देव,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मित्र देव, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री अच्छरू राम, निवासी गांव बटाहण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री अच्छरू राम, निवासी बटाहण, ग्राम पंचायत कोठी गैहरी ने इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके पुत्र दीपक बंसल का जन्म ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे आवेदन-पत्र दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 11-7-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज व उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मोहर।

मित्र देव,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मित्र देव, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती चुहंकी देवी पत्नी श्री हिरदू राम, निवासी गांव व डाकखाना घराण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती चुहंकी देवी पत्नी श्री हिरदू राम, निवासी गांव व डाकखाना घराण, ग्राम पंचायत घ्राण ने इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके पुत्र नागणू का जन्म ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे आवेदन-पत्र दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 9-7-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज व उजर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मोहर।

मित्र देव,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री विद्यासागर पुत्र श्री लछमण दास, निवासी सकरोहा, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
.. वादी।

बनाम

आम जनता

.. प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में विद्यासागर दर्ज है, जोकि सही दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख में सागर दर्ज है, जोकि गलत है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वादी के नाम की दुरुस्ती करने बारा कोई उजर हो तो वह दिनांक 11-7-2012 को सुबह 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो। गैर-हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 29-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
17/2012	16-6-2012	Pending for 18-7-2012

Smt. Kalawati w/o Shri Shakat Ram, r/o Village Samanu, P.O. Badhlag, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General public . . Respondents.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Kalawati w/o Shri Shakat Ram, r/o Village Samanu, P.O. Badhlag, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents that her son Gian Chand born on 4-9-1972 at Village Samanu, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat birth and death record, Badhlag, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Gian Chand may submit his objection in writing in this court on or before 18-7-2012 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after *expiry* of date.

Given under my hand and seal of the court on this 16th day of June, 2012.

Seal.

LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० :/2012

तारीख रजुआ :

श्री कपिल देव पुत्र श्री ओंकार शर्मा, निवासी वार्ड नं० 1, बद्दी, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री कपिल देव पुत्र श्री ओंकार शर्मा, निवासी वार्ड नं० 1, बद्दी, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 28-11-2011 को श्रीमती रेणूबाला पुत्री श्री हेम राज, निवासी ग्राम, बाड़ी खड्ड, डाकघर बहेरा, तहसील व जिला होशियारपुर (पंजाब) के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री कपिल देव पुत्र श्री ओंकार शर्मा, निवासी वार्ड नं० 1, बद्दी, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती रेणूबाला पुत्री श्री हेम राज, निवासी ग्राम, बाड़ी खड्ड, डाकघर बहेरा, तहसील व जिला होशियारपुर (पंजाब) की शादी का इन्द्राज कार्यकारी-अधिकारी, नगर परिषद् बद्दी में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2012 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 17-7-2012 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

HOME DEPARTMENT
(Prosecution)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 23rd June, 2012

No. Home (Prose.)-B(6)-2/2008.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to place the services of Sh. Sanjeev Bharwal, Deputy District Attorney, Una, Distt. Una to Bhakra Beas Management Board (BBMB) as Law Officer Gr. I on transfer basis.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Home).

HOME DEPARTMENT
(Prosecution)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 22nd June, 2012

No. Home (Prose.)-B (6)-2/2008-loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of Smt. Gulab Negi, Deputy District Attorney O/O District Attorney, Shimla, Distt. Shimla to Directorate of Prosecution, H.P., Shimla-9 against vacant post without TTA/JT, in public interest with immediate effect.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Home).